:: इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

चॉदा तलावली, ए. बी. रोड़, इन्दौर–453 771 (म. प्र.)
दूरभाष क्रमांक : (0731) 2802554 / फैक्स : (0731) 2802559

स्टाफ बस ठेका द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर–453 771 (म. प्र.)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर

–:::– स्टाफ बस परिवहन ठेका निविदा –:::–

द्वितीय ई–निविदा क्रमांक : **3030**/प्रशा./इसदुसं/**2023**, इन्दौर, दिनांक **07/07/2023**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के स्टाफ कर्मचारियों को ड्यूटी पर डेयरी कॉलोनी धार रोड़, इन्दौर से डेयरी संयंत्र, चॉदा तलावली एवं पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक इन्दौर शहर के विभिन्न निर्धारित स्थल से (दूरी लगभग 55 एवं 45 कि.मी.) लाने एवं वापस ले जाने के लिए 35 सीटर मिनी बस दिनांक 01-09-2023 से 31-08-2026 तीन वर्ष की अवधि के लिए निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को जो पूर्ण करते हों, ऐसे बस मालिक/ट्रान्सपोर्टर/ठेकेदारों से निविदा निर्धारित प्रपत्र में ऑन–लाइन आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र पोर्टल mptenders.gov.in से दिनांक 03/08/2023 अपरान्ह 12:00 बजे तक क्रय की जा सकती है। भरी हुई निविदाऍ दिनांक 03/08/2023 को अपरान्ह 2:00 तक ऑन–लाइन जमा होगी। ई–निविदा में प्रस्तावित दर को ही मान्य किया जावेगा। संघ को प्राप्त निविदाऍ दिनांक 04/08/2023 को दोप. 3:00 बजे तकनीकी अर्हताऍ सर्वप्रथम खोली जावेगी। विस्तृत निविदा MPCDF की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है। निविदा में ई.एम.डी. राशि रू. 50,000/- है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कुल पृष्ठ संख्या : .--

:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 13 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका	02
(3)	स्टाफ बस परिवहन ठेका हेतु ऑन–लाइन निविदा–प्रपत्र	03
(4)	प्रपत्र 01 – तकनीकी अर्हताएं	04
(5)	प्रपत्र 02 – कार्य का विवरण तथा नियम व शर्ते	05 से 12
(6)	प्रपत्र 03 – भाव पत्र/दरे	13

<u>इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर</u>

–:::– स्टाफ बस परिवहन ठेका हेतु ऑन–लाइन निविदा–प्रपत्र –:::–

(1)–	निविदा का मूल्य	: रूपये **1,000/-** (अक्षरी राशि रूपये एक हजार मात्र)
(2)–	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	: 03 अगस्त 2023 दोपहर 2.00 बजे
(3)–	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	: 04 अगस्त 2023 दोपहर 3.00 बजे
(4)–	निविदा के साथ जमा अमानत राशि (ई.एम.डी.)	: रूपये 50,000/- (अक्षरी राशि रूपये पचास हजार मात्र)
(5)–	निविदा खोलने का स्थान	: इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म. प्र.)
(6)–	ठेका हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप	: प्रपत्र–01
(7)–	ठेके की सामान्य शर्ते	: प्रपत्र–02
(8)–	भाव–पत्र / दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप	: प्रपत्र–03

Sta

प्रपत्र–**01**

:: तकनीकी अर्हताऍं ::

क्रं.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1	बस मालिक / ट्रान्सपोर्टर / ठेकेदार / पार्टनर जो अधिकृत हो, का नाम		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
2	वाहन का पंजीयन क्रमांक		पंजीयन प्रमाण–पत्र
3	प्रस्तावित वाहन के मॉडल / वर्ष (2021 से पूर्व का अमान्य)		
4	फिटनेस प्रमाण–पत्र क्रमांक		फिटनेस प्रमाण–पत्र
5	इंश्युरेन्स पॉलिसी क्रमांक / दिनांक		इंश्युरेन्स पॉलिसी
6	पान कार्ड नम्बर		पान कार्ड की छाया प्रति
7	PUC प्रमाण–पत्र (वैधता)		PUC प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
8	GST नम्बर		GST रजिस्ट्रेशन की प्रति
9	EPF रजिस्ट्रेशन नम्बर		EPF रजिस्ट्रेशन की प्रति
10	ESI रजिस्ट्रेशन नम्बर		ESI रजिस्ट्रेशन की प्रति
11	न्यायालय में बस सम्बन्धी प्रकरण / वाद आदि विचाराधीन / लम्बित न होने का शपथ–पत्र।		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ–पत्र।
12	निविदाकर्ता के कार्यालय का पता एवं दूरभाष नम्बर।		
13	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी वाहन का संचालन किया जा चुका है अथवा कर रही है। यदि किया गया है तो उसकी अवधि।		यदि हॉं तो पूर्ण विवरण देवें।
14	क्या आपकी संस्था जबलपुर / ग्वालियर / उज्जैन / भोपाल / सागर दुग्ध संघों में या अन्य स्कूल अन्य औद्योगिक संस्थान में स्टाफ लाने एवं ले जाने का बस का संचालन किया है, तो उसका विवरण।		
15	EMD (धरोहर राशि) रू. 50,000/-		
16	निविदाकार द्वारा नई बस लगाई जाती है, तो शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ–पत्र।

नोट :–

1) उपरोक्त सभी ग्यारह बिन्दुओं (क्रं. 01 से 11) तक के ऑन–लाइन मय सील एवं हस्ताक्षर के अपलोड जमा किये गये दस्तावेजो एवं दर ही मान्य रहेगी।
2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात कर ली जावेगी।
3) धरोहर राशि ऑन–लाइन जमा की जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

–:::– स्टाफ बस निविदा एवं ठेके की शर्ते –:::–

(1) ऑन–लाइन निविदा प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 03/08/2023 को दोपहर 2.00 बजे** तक है। ऑन–लाइन प्राप्त निविदा एवं दर तथा तकनीकी अर्हताएं के अपलोड किये गये दस्तावेज ही मान्य किये जावेंगे। सर्वप्रथम तकनीकी अर्हता का परीक्षण किया जायेगा, जो अर्हताएँ / योग्यता पूर्ण करते हैं, उन्हीं की दरें बाद में खोली जायेगी। मिनी बस अच्छी कण्डिशन की एवं वर्ष 2021 के मॉडल या उसके बाद की होना चाहिए।

(2) निविदा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर बस हेतु **रूपये 50,000/-** (अक्षरी राशि रू. पचास हजार मात्र) धरोहर राशि ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, जिसका निविदा प्रपत्र भाग– 01 में उल्लेख करना होगा। अन्य किसी भी माध्यम से जमा धरोहर राशि वाली निविदा पर प्रबंध कोई विचार नही करेगा। निविदाकार के पास आयकर का पान नम्बर एवं बैंक खाता उसी नाम का होना चाहिए, बिना ई.एम.डी. राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं सीधे निरस्त की जावेगी।

(3) ऑन–लाइन निविदाएँ तकनीकी अर्हताएँ **दिनांक 04/08/2023 को दोपहर 3.00 बजे** इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के प्रशासनिक कार्यालय में खोली जावेगी,तत्पश्चात् प्रस्तावित दर खोली जावेगी।

(4) निर्धारित प्रपत्र–एक के सभी कॉलम निविदाकार को भरने होंगे। जिस वाहन से संबंधित निविदा दी जावेगी, उस वाहन के मालकियत के प्रमाण–पत्र आर.टी.ओ. कार्यालय में उसके नाम पर पंजीयन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति भी संलग्न करना होगी तथा वैध स्वामी द्वारा ही निविदा भरी जाकर हस्ताक्षरित करना आवश्यक है।

(5) सशर्त निविदा पर प्रबंध द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अमान्य किया जावेगा।

(6) बिना कारण बताये अथवा सूचना दिये तथा किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

(7) एक वाहन मालिक द्वारा एक से अधिक निविदाएँ नहीं भरी जावेगी।

(8) निविदा स्वीकृत होने पर जारी कार्य आदेशानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर वाहन लगाना आवश्यक होगा। इससे पूर्व बिन्दु क्रमांक–09 में निर्धारित अमानत की राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट से संघ खाते में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा। यदि सूचना–पत्र में निर्धारित तिथि एवं समय से वाहन चलाना प्रारम्भ नहीं किया जाता है या निविदाकर्ता (ठेकेदार) वाहन चलाने में असमर्थ रहता है तो अमानत की राशि जप्त कर ली जावेगी।

अविरत्......2...पर

(9) निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को **रूपये 2,50,000/-** (अक्षरी राशि रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) नकद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के द्वारा अमानत की राशि संघ में वाहन चलाना प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा निविदा पत्र के साथ जमा धरोहर राशि को अमानत की राशि में समायोजित कर लिया जावेगा तथा शेष राशि ठेकेदार को केवल बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./नकद के द्वारा संघ में जमा कराकर रसीद प्राप्त करना होगी। कुल जमा अमानत की राशि प्रबंध द्वारा ठेका पूर्ण कर आवेदन देने पर एक माह में बिना ब्याज के वसूली योग्य राशि का समायोजन कर वापस लौटा दी जावेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(10) वाहन रजिस्ट्रेशन, परमीट, अनुज्ञप्ति लेने की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी तथा केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/नगर निगम द्वारा समय–समय–पर जो भी टैक्स लगाये जावेंगे, उनका भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा। इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा वहन नहीं किया जावेगा। पुलिस यातायात नियमों का पालन करना तथा बस थाने आदि में बन्द होने पर तत्काल छुड़ाने की या स्टाफ को छोड़ने के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की रहेगी।

(11) टायरों, वाहनों के पुर्जों या अन्य वाहन से संबंधित अन्य पार्ट्स पर शासन द्वारा की गई बढ़ोत्तरी हेतु प्रबंध किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्वीकृत दरों पर ठेकेदार को अनुबंधित अवधि में वाहन उसी दर पर चलाना होगी।

(12) यदि कोई भी ठेकेदार किसी पंजीकृत कम्पनी के नाम पर निविदा देना चाहता है तो पंजीकृत कम्पनी के भागीदारी के लेन–देन से संबंधित अधिकार–पत्र के साथ उस व्यक्ति के अधिकार–पत्र भी निविदा के साथ लगाना होगा, जिसे पंजीकृत कम्पनी की ओर से लेन–देन करने एवं अनुबंध आदि पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया हो, यदि ठेका अवधि में किसी भी प्रकार का कम्पनी को भागीदारी आदि में परिवर्तन किया जाना हो तो उसकी सूचना प्रबंध को मय् वैधानिक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगी।

(13) यदि निविदा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से भरी जाती है एवं व्यक्ति विशेष द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं तो उसके नाम से वाहन पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(14) यह ठेका तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। आवश्यकता को देखते हुऐ ठेके की अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्रबंध स्व–विवेकानुसार परिस्थितियों को देखते हुए ठेका अवधि संतोषप्रद होने पर ठेके की अवधि प्रचलित शर्तों/दरों के आधार पर एक–एक वर्ष की अवधि अधिकतम दो वर्ष के लिए और वृद्धि कर सकता है।

(15) ठेके की स्वीकृति के पश्चात् जिसे ठेका दिया जावेगा, उस ठेकेदार को रूपये 1,000/- (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) का न्यायालयीन स्टाम्प पेपर पर सविस्तार अनुबंध करना होगा तथा स्टाम्प शुल्क ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।

(16) ठेकेदार को वाहन चलाने हेतु अनुभवी एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त वाहन चालक एवं एक परिचालक रखना होगा, जिसके वेतन–भत्ते भुगतान की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

अविरत्....3...पर

(17) ठेकेदार द्वारा चलाये जाने वाली स्टाफ मिनी बस वाहन 35 सीटर तथा एक बार में कम–से–कम 35 कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से लाने–ले जाने की क्षमता होना चाहिए। साथ ही सेल्फ चलित (अर्थात् सेल्फ स्टार्ट) होना, वाहन वाईपर, विद्युत व्यवस्था, धूप से बचाव हेतु गहरे रंग के पर्दे, पूर्ण कॉच जिससे धूल, वर्षा एवं ठण्ड से बचाव हो सकें, अच्छी सुगम सीटें आदि इस प्रकार पूर्ण साधनों से सुसज्जित होना आवश्यक होगा।

(18) ठेकेदार द्वारा प्रबंध के कर्मचारियों को धार रोड़ पर स्थित पुरानी डेयरी कॉलोनी, इन्दौर से न्यू डेयरी संयंत्र, तलावली चॉदा होते हुए पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक निर्धारित स्थानों से 35 सीटर वाहन समय–समय–पर दिये गये निर्धारित समय पर लाना एवं वापस ले जाना होगा। उस वाहन की प्रतिदिन पॉच ट्रिप (प्रति ट्रिप निर्धारित मार्ग से आना एवं वापस जाने पर **55** एवं **45** कि.मी. दूरी है) जो लगाना होगी। प्रशासनिक कार्यालयों की ट्रिप कार्यालय अवकाश के दिनों में नहीं लगाई जावेगी।

(19) निर्धारित समय से प्रत्येक 10 मिनट के लिये या उससे **कम** समय लेट आने पर रूपये 500/- (अक्षरी रूपये पॉच सौ मात्र) प्रति दस मिनट के हिसाब से विलम्ब हेतु दण्ड स्वरूप (देयक बिल से कटौत्रा किया जावेगा, किन्तु इन्दौर शहर के यातायात को देखते हुए माह में तीन बार बस 10 मिनट विलम्ब (लेट) होगी तो कोई कटौत्रा नहीं किया जावेगा, लेकिन तीन बार से अधिक बस लेट आने एवं जाने पर कटौत्रा संपूर्ण माह के विलम्ब की गिनती करते हुए शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

(20) यदि पारी छूटने के निर्धारित समय के पूर्व ही वाहन वापस हो जाती है और प्रबंध को कर्मचारियों को वापस लाने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ती है तो राशि सहित पूर्ण वसूली ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही प्रबंध द्वारा स्व–विवेक से अर्थदण्ड भी किया जावेगा।

(21) यदि वाहन के खराब हो जाने या अन्य किसी कारणवश् ठेके पर चलाई जाने वाली निर्धारित वाहन नहीं चलाई जाती है तो ठेकेदार को उतनी ही बैठक क्षमता के दूसरे वाहन की तत्काल अस्थाई व्यवस्था करना होगी, जिसका किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान प्रबंध द्वारा नहीं किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो प्रबंध कर्मचारियों को लाने–ले जाने की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं इस प्रकार के व्यवस्था पर होने वाली संपूर्ण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति वाहन ठेकेदार के देयक बिल से कटौत्रा की जावेगी। उपरोक्त स्थिति में वाहन ठेकेदार को अनुबंधित वाहन की बैठक क्षमता वाला वाहन ही उपलब्ध करायेगा, अगर उसके द्वारा कम सीटर की बस किसी भी ट्रिप हेतु उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रबंध द्वारा वाहन ठेकेदार को उस ट्रिप पर देय की जाने वाली राशि का आधा भुगतान किया जावेगा।

(22) प्रबंध की लिखित अनुमति के बगैर नियमित स्टाफ के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को लाने–ले जाने के समय या अन्य ट्रिपों में वाहन में नहीं बैठायेगा।

अविरत्....4...पर

(23) इन्दौर दुग्ध संघ में कार्यरत् किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार / परिवार के अन्य सदस्य के नाम से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस प्रकार लिया गया ठेका स्वतः अवैध एवं निरस्ती योग्य होगा।

(24) वाहन पर लगाये गये चालक / परिचारक के वेतन, मजदूरी, वर्दी, भविष्य निधि, ई.एस.आई. आदि के भुगतान की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी, प्रबंध उसके लिऐ किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। यदि राशि प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा कर वेतन भुगतान स्लीप भविष्य निधि चालान एवं ECR की प्रति प्रत्येक माह बस के देयक के साथ संलन करना होगा, उसके बाद ही देयक स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।

(25) ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह का देयक अगले माह की 05 तारीख तक प्रबंध को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक माह की 20 तारीख तक स्वीकृत दर पर वसूली (यदि कोई हो तो) उसका समायोजन करने के पश्चात् किया जावेगा।

(26) वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट में वाहन आने—जाने का समय सुरक्षा अधिकारी के समक्ष न्यू डेयरी संयंत्र एवं पशु आहार संयंत्र के मुख्य द्वार पर रखे रजिस्टर पर वाहन का नंबर, बैठक क्षमता एवं समय दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। उसी सत्यापन के आधार पर देयक स्वीकृत किये जावेंगे।

(27) प्रबंध की लिखित अनुमति के बगैर ठेकेदार किसी अन्य को ठेके से संबंधित वाहन अथवा ठेका हस्तांतरित नहीं कर सकेगा और न ही ठेके में भागीदारी ही कर सकेगा, अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

(28) सामान्य परिस्थितियों में उभय पक्षों द्वारा दो माह की स्पष्ट एवं लिखित पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा, परंतु ठेकेदार द्वारा अनुबंध का पालन न करने पर या संतोषप्रद ढंग से ठेके का कार्य न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना दिए ठेका समाप्त करने का अधिकार प्रबंध को हैं और ऐसे प्रकरणों में अमानत की राशि भी राजसात कर ली जावेगी, तथा ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा।

(29) ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्त का पालन न करने पर अमानत की राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध को होगा। यदि प्रबंध की किसी भी प्रकार की क्षति एवं लेनदारी वूसली रहती है तो उसकी वसूली अमानत की राशि या बिलों से कटौत्रा की जावेगी।

(30) वाहन ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत् वाहन चालक / परिचालक इत्यादि का व्यवहार नम्रता एवं शिष्टता का रहेगा तथा उदण्डता अथवा आपत्ति जनक व्यक्ति को प्रबंध के निर्देशानुसार सेवा से पृथक करना ठेकेदार के लिऐ आवश्यक होगा, अन्यथा प्रबंध के द्वारा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

(31) वाहन अथवा वाहन से संबंधित कर्मचारियों की त्रुटि अथवा वैधानिक कारणों से यदि वाहन चालन में ठेकेदार को दण्डित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी वाहन ठेकेदार पक्ष की रहेगी, प्रबंध इसके लिऐ किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

अविरत्....5...पर

(32) ठेके की अवधि के दौरान वाहन की टूट—फूट की मरम्मत/ईंधन खर्च आदि से संबंधित खर्च की पूर्ति वाहन ठेकेदार को स्वयं वहन करनी होगी।

(33) वाहन चालक/परिचालक के किसी भी प्रकार का बीमा या सभी क्लेम वाहन ठेकेदार द्वारा ही भुगतान किये जावेंगे।

(34) ठेके की अवधि में वाहन का रोड़ टैक्स, कॉम्प्रीहेन्सीव बीमा, सर्विस टैक्स एवं अन्य लायसेंस फीस दण्ड शुल्क (जो कि वाहन से संबंधित होगी) का भुगतान वाहन ठेकेदार द्वारा ही भुगतान किया जावेगा। ठेकेदार को वाहन की बैठक क्षमता के आधार पर कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा तथा किये गये बीमे

की फोटो कॉपी कार्यालय को देनी होगी। यदि कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना घटित होती है तो उसके क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी, अन्यथा ठेका समाप्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

(35) निविदा की तकनीकी अर्हताएँ खोलने के पश्चात् वाहन ठेकेदार को प्रबंध द्वारा निर्धारित की गई तिथि को वाहन निरीक्षण हेतु न्यू डेयरी प्लांट, मॉगलिया पर लाना होगी। यदि वाहन जीर्ण अवस्था में पाई गई तो संबंधित निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(36) अनुबंधित वाहन के स्थान पर वैकल्पिक अस्थाई वाहन में उतनी ही बैठक क्षमता वाला वाहन उपरोक्त शर्तों के अनुरूप होगा। यदि अनुबंधित वाहन की हालत अत्यधिक खराब होने पर प्रबंध को आपत्ति होगी तो ठेकेदार को तुरंत उपलब्ध कराना होगा, जो कि पूर्ण रूपेण सही, अच्छी हालत में तथा पूर्ण बीमायुक्त होगा।

(37) प्रबंध के निर्देशों पर ठेकेदार को तत्काल वाहन की आवश्यकतानुसार मरम्मत या सीटों की मरम्मत करानी होगी। यदि दिये गये समय में ठेकेदार द्वारा वाहन की मरम्मत नहीं की गई तो प्रबंध स्व—विवेक अनुसार शास्ति करेगा या ठेका निरस्त कर सकेगा या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, जिसका वहन वाहन ठेकेदार को करना होगा।

(38) वाहन के क्लीनर की यह जवाबदारी रहेगी कि, वह प्रत्येक ट्रिप प्रारम्भ होने के पूर्व बस की सीटें कपड़े से साफ करेगा, ताकि कर्मचारियों के वस्त्र गंदे/मेले न होवें, वाहन में गंदगी पाये जाने पर प्रबंध द्वारा स्व—विवेक से शास्ति की जावेगी।

(39) ठेके के दौरान प्रबंध तथा ठेकेदार के मध्य किसी भी प्रकार के वाद—विवाद होने पर अध्यक्ष महोदय्, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर का निर्णय अंतिम होगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(40) ठेके से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद—विवाद इन्दौर न्यायालय की सीमा में होगा।

अविरत्....6...पर.

(41) उक्त प्रदर्शित शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने, किसी भी शर्त को जोड़ने या परिवर्तित करने का अधिकार दो पक्षों की आम सहमति से होगा।

(42) अनुबंध के दौरान यदि शासन द्वारा डीजल की दरों में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो प्रबंध द्वारा उसी अनुपात में दरों में बढ़ोत्तरी या कमी की जा सकेगी। 08 कि.मी. प्रतिलीटर डीजल की खपत के आधार पर माईलेज/एवरेज रहेगा।

(43) प्रबंध की आवश्यकतानुसार (26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि को) बस उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा।

(44) बस नहीं आने की स्थिति में (स्टाफ नहीं आने पर) संघ को होने वाली समस्त हानि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(45) ठेके की अवधि में वाहन से दुर्घटना होने पर यदि कोई न्यायालयीन विवाद उत्पन्न होता है तो इसके हर्जे–खर्चे आदि की समस्त जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी तथा न्यायालय द्वारा कोई प्रबंध पक्ष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति/अवार्ड/क्लेम जारी किया जाता है तो उसकी भी प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(46) पुरानी डेयरी कॉलोनी से चलने वाली बस सामान्य दिनों में प्रतिदिन पॉच ट्रिपों में चलेगी, परंतु साप्ताहिक अवकाशों में या अन्य शासकीय घोषित अवकाशों में कार्यालय की प्रशासनिक ट्रिप नहीं चलाई जावेगी।

(47) स्टाफ बस का निर्धारित मार्ग निम्नानुसार है :–

1. पुरानी डेरी कॉलोनी, धार रोड़ से–गंगवाल बस स्टेण्ड– जिलाधीश कार्यालय–जूनी इन्दौर ओव्हर ब्रिज से–सपना–संगीता होकर–आसाराम बापू चौराहा–तीन ईमली–मूसाखेड़ी से पिपल्याहाना चौराहा से गोयल नगर–खज़राना चौराहा– विजय नगर चौराहा होते हुए–न्यू डेयरी प्लांट/पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक रहेगा एवं इसी मार्ग से बस पुनः स्टाफ को लेकर वापस जावेगी। (दूरी 55 कि.मी.)।
2. पुरानी डेरी कॉलोनी, धार रोड़ से–गंगवाल बस स्टेण्ड–महूनाका–लाबरिया भेरू–बडा गणपति–जिन्सीं–रामबाग–नगर निगम–जेलरोड–भण्डारी मील ब्रीज–परदेशीपुरा–बापट चौराहा–विजयनगर चौराहा होते हुए–न्यू डेयरी प्लांट/पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक रहेगा एवं इसी मार्ग से बस पुनः स्टाफ को लेकर वापस जावेगी। (दूरी 45 कि.मी.)।

(48) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका समाप्त किया जाकर अमानत राशि राजसात कर कालीसूची में सूचीबद्ध करने का अधिकार प्रबंध को होगा।

(49) बस के रूट में परिवर्तन किया जा सकता है।

(50) यदि किसी निविदाकार द्वारा नवीन बस क्रय कर स्टॉफ बस हेतु लगाई जाती है, तो उन्हें स्वंय द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अविरत्....7...पर.

<u>समय—सारिणी</u> :—

क्रं.	पुरानी डेयरी कॉलोनी, धार रोड़ से चलने का समय	मुख्य डेयरी संयंत्र पहुॅचने का समय	पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया पहुॅचने का समय
1	प्रातः 6.45 बजे	प्रातः 7.25 बजे	प्रातः 7.30 बजे
2	प्रातः 9.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे	प्रातः 10.15 बजे
3	दोपहर 2.30 बजे	दोपहर 3.25 बजे	दोपहर 3.30 बजे
4	सायं 4.30 बजे	सायं 6.00 बजे	सायं 6.10 बजे
5	रात्रि 10.30 बजे	रात्रि 11.25 बजे	रात्रि 11.30 बजे

इस प्रकार प्रतिदिन कुल पॉच ट्रिप रहेगी।

- सायंकाल 4.30 बजे धार रोड़ डेयरी कॉलोनी से वापस आने वाली बस खाली रहती है। स्टाफ नहीं रहने से सीधे (बिना रूके) निर्धारित समय तक अनिवार्य रूप से दुग्ध संयंत्र पहुॅचाना आवश्यक है। समय—सारिणी से निर्धारित समय से लेट होने पर निविदा की शर्त क्रमांक—19 के अनुसार विलम्ब के लिए शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
- स्टाफ बस ठेकेदार द्वारा संघ कार्यालय में स्टाफ बस ड्रायवर एवं परिचालक का पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- स्टाफ बस ड्रायवर किसी भी प्रकार के नशे का आदी नहीं होना चाहिए। यदि ड्रायवर द्वारा नशे में स्टाफ का परिवहन किया जाता है तो उस ट्रीप का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जावेगा।
- निविदा में एक से अधिक निविदाकर्ता की दरें समान होने पर नियमानुसार लाटरी द्वारा चयन किया जावेगा।

<u>प्रपत्र–3</u>

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

स्टाफ बस परिवहन का "भाव–पत्र/दरें"

(अ)

क्रं.	विवरण	
1	बस मालिक/ट्रान्सपोर्टर/ठेकेदार/पार्टनर जो अधिकृत हो, का नाम	
2	प्रस्तावित वाहन का पंजीयन नम्बर	

(ब) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दरें प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगाः–

क्रं.	विवरण	प्रस्तावित दर रू. में (बिना जी.एस.टी.)
1	प्रति कि.मी. दर	

नोट :– शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर (GST) लागू रहेगा।
देयक प्रस्तुत करते समय नियमानुसार कर (GST) लगाकर देयक प्रस्तुत किये जाये।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर

—:::— स्टाफ बस परिवहन ठेका निविदा —:::—

द्वितीय ई—निविदा क्रमांक : **3030**/प्रशा./इसदुसं/**2023**, इन्दौर, दिनांक **07/07/2023**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के स्टाफ कर्मचारियों को ड्यूटी पर डेयरी कॉलोनी धार रोड़, इन्दौर से डेयरी संयंत्र, चॉदा तलावली एवं पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक इन्दौर शहर के विभिन्न निर्धारित स्थल से (दूरी लगभग 55 एवं 45 कि.मी.) लाने एवं वापस ले जाने के लिए 35 सीटर मिनी बस दिनांक 01-09-2023 से 31-08-2026 तीन वर्ष की अवधि के लिए निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को जो पूर्ण करते हों, ऐसे बस मालिक/ट्रान्सपोर्टर/ठेकेदारों से निविदा निर्धारित प्रपत्र में ऑन—लाइन आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र पोर्टल mptenders.gov.in से दिनांक 03/08/2023 अपरान्ह 12:00 बजे तक क्रय की जा सकती है। भरी हुई निविदाएॅ दिनांक 03/08/2023 को अपरान्ह 2:00 तक ऑन—लाइन जमा होगी। ई—निविदा में प्रस्तावित दर को ही मान्य किया जावेगा। संघ को प्राप्त निविदाएॅ दिनांक 04/08/2023 को दोप. 3:00 बजे तकनीकी अर्हताएॅ सर्वप्रथम खोली जावेगी। विस्तृत निविदा MPCDF की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है। निविदा में ई.एम.डी. राशि रू. 50,000/- है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 16 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) .... (पता) .... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने पर नवीन बस क्रय कर दुग्ध संघ को स्टॉफ बस हेतु प्रदाय की जावेगीं।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) .... (आयु) .... (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

क्रं./   /प्रशासन/इसदुसं/**2023**   इन्दौर, दिनांक

प्रति,

प्रबंधक,
राज– एक्सप्रेस, समाचार–पत्र,
रायसेन रोड़,
भोपाल (म. प्र.)।

विषय :– बार्टर डील अंतर्गत स्टाफ बस ठेका द्वितीय ई–निविदा सूचना प्रकाशित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, पत्र के साथ स्टाफ बस परिवहन हेतु द्वितीय ई–निविदा सूचना विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उक्त निविदा सूचना दैनिक समाचार–पत्र ''राज–एक्सप्रेस'' के इन्दौर संस्करण में दिनांक 13/07/2023 तक प्रकाशित करते हुए समाचार–पत्र की प्रति, बिल के साथ इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद्।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रं./   /प्रशासन/इसदुसं/2019   इन्दौर, दिनांक

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (प्रचार–प्रसार),
एम.पी. स्टेट को–ऑप. डेयरी फेडरेशन लिमि.,
'दुग्ध भवन', दुग्ध मार्ग, हबीबगंज,
भोपाल–**462 024** (म. प्र.)।

विषय :– एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब–साइट पर स्टाफ बस ठेका निविदा–प्रपत्र एवं सूचना अपलोड़ करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, पत्र के साथ स्टाफ बस परिवहन हेतु निविदा–प्रपत्र एवं सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है।

कृपया उक्त निविदा–प्रपत्र एवं सूचना एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब–साइट पर दिनांक 28-06-2019 तक अपलोड़ करने का कष्ट करें।

धन्यवाद्।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/2019 इन्दौर, दिनांक

प्रति,

ऋषभ ट्रान्सपोर्ट सर्विस,
LG-3, 'मेक्श्योर टॉवर',
झाबुआ टॉवर के पास,
इन्दौर (म. प्र.)।

विषय :– आपके द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा दिनांक **30.07.2019**
संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रं./**3721**/प्रशासन/दिनांक **13.08.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, स्टाफ बस ठेका आवंटन हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा दर पर मोलभाव हेतु आप समिति के समक्ष दिनांक 14.08.2019 को उपस्थित हुए थे, लेकिन आपके द्वारा मोलभाव उपरांत आज दिनांक तक अपनी लिखित दर प्रस्तुत नहीं की है।

अतः आप दिनांक 27.08.2019 तक अनिवार्य रूप से अपनी दर प्रस्तुत करें, ताकि ई–निविदा पर यथायोग्य कार्यवाही की जा सके।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/2019 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय्, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबंधक (सं. संचा.)/(क्रय)/(MIS)/(वित्त), इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रं./   /प्रशासन/इसदुसं/2019   इन्दौर, दिनांक

प्रति,

ऋषभ ट्रान्सपोर्ट सर्विस,
LG-3, 'मेक्श्योर टॉवर',
झाबुआ टॉवर के पास,
इन्दौर (म. प्र.)।

विषय :– स्टाफ बस का ठेका आवंटन बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा की शर्तों एवं मॉडल पर दिनांक 27.07.2019 को मोलभाव करने एवं दिनांक 06.07.2016 को समिति द्वारा बस का निरीक्षण करने के उपरान्त निविदा की शर्तों एवं दिशा–निर्देशों के तहत् संघ के अधिकारी/कर्मचारियों को ड्यूटी पर लाने एवं वापस ले जाने के लिए दिनांक 01.09.2019 से 31.08.2021 तक दो वर्ष की अवधि के लिए बस क्रं. : MP09-FA-7999, मॉडल–2019, बैठक क्षमता 50+02 सीटर को निम्न निर्धारित मार्गों से बस को लाने एवं वापस ले जाने के लिए रू. **1,90,000/-** (अक्षरी रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र) प्रतिमाह की दर पर परिवहन ठेका आवंटित किया जाता है।

स्टाफ बस निम्न समय–सारिणी अनुसार निर्धारित मार्ग पुरानी डेरी कॉलोनी, धार रोड़ से–गंगवाल बस स्टेण्ड–जिलाधीश कार्यालय–जूनी इन्दौर ओव्हर ब्रीज से–सपना–संगीता होकर–चिड़ियाघर–एम.वाय.एच. चौराहा–आयकर कार्यालय के सामने से–पिपल्याहाना–बंगाली चौराहा–मालवीय पैट्रोल पम्प–विजय नगर चौराहा होते हुए–न्यू डेयरी प्लांट/पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया तक एवं इसी मार्ग से बस पुनः स्टाफ को लेकर वापस जावेगी।

स्टाफ बस संचालन का समय–सारिणी निम्नानुसार है :–

क्रं.	पुरानी डेयरी कॉलोनी, धार रोड़ से चलने का समय	मुख्य डेयरी संयंत्र पहुँचने का समय	पशु आहार संयंत्र, मॉगलिया पहुँचने का समय
1	प्रातः 6.45 बजे	प्रातः 7.25 बजे	प्रातः 7.30 बजे
2	प्रातः 9.30 बजे	प्रातः 10.25 बजे	प्रातः 10.30 बजे
3	दोपहर 2.30 बजे	दोपहर 3.25 बजे	दोपहर 3.30 बजे
4	सायं 4.30 बजे	सायं 5.25 बजे	सायं 5.30 बजे
5	रात्रि 10.30 बजे	रात्रि 11.25 बजे	रात्रि 11.30 बजे

इस प्रकार प्रतिदिन कुल पॉच ट्रिप रहेगी।

- सायंकाल 4.30 बजे धार रोड़ डेयरी कॉलोनी से आने वाली बस खाली रहती है। स्टाफ नहीं रहने से सीधे (बिना रूके) निर्धारित मार्ग से होते हुए नियत समय तक अनिवार्य रूप से डेयरी संयंत्र पहुँचाना आवश्यक होगा।

अविरत्.....2...पर

1)— आप दिनांक 08.08.2016 को प्रातः 6.45 बजे पुरानी डेयरी कॉलोनी, धार रोड़ से स्टाफ को लेकर बस का संचालन प्रारम्भ करे। बस के आगे कॉच पर ''**इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर अनुबन्धित स्टाफ बस**'' पेंट से लिखा दें, ताकि स्टाफ कर्मचारियों को बस की पहचान हो सकें।

2)— स्टाफ बस ठेका हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि **रू. 2,50,000/-** (अक्षरी रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) पन्द्रह दिवस के अंदर नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करायें। साथ—ही—साथ बस संचालन के लिए मार्ग परमिट आर.टी.ओ. से प्राप्त करे एवं टैक्स की रसीद, वाहन चालकों के लायसेंस की छाया प्रति तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अनुबन्ध किए जाने हेतु रू. 1,000/- (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र) का नान—ज्युडिशियन स्टाम्प पेपर शीघ्र संघ कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि अनुबन्ध निष्पादित कर देयक स्वीकृत किया जा सकें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/2019 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :—

- प्रबंधक (वित्त), इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
- स्टाफ बस नस्ति/बिल नस्ति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चॉदा तलावली, मॉगलिया, इन्दौर

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/2019 इन्दौर, दिनांक

प्रति,

ऋषभ ट्रान्सपोर्ट सर्विस,
पता : **5,** 'झाबुआ टॉवर',
फिल्म कॉलोनी,
इन्दौर (म. प्र.)।

विषय :– स्टाफ बस परिवहन बाबत्।
संदर्भ :– विपणन शाखा का पत्र क्रं./**1873**/विपणन/दिनांक **30.09.2019**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए नई स्टाफ बस परिवहन का ठेका आवंटित किया गया है।

अतः नई बस को चलाने की तिथि से तत्काल अवगत् कराये, तथा नई बस का मेजरमेंट दे ताकि बस के ऊपर विनायल कार्य कराया जा सके।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/2019 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

- महाप्रबंधक (विपणन), इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रस्तुत।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चाँदा तलावली, माँगलिया, इन्दौर

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं./2021 इन्दौर, दिनांक

प्रति,

ऋषभ ट्रान्सपोर्ट सर्विस,
पता : **5,** 'झाबुआ टॉवर',
फिल्म कॉलोनी,
इन्दौर (म. प्र.)।

विषय :– सॉची डायरी वर्ष **2022** में विज्ञापन बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, प्रतिवर्ष अनुसार वर्ष 2022 में भी ''सॉची'' डायरी प्रिंट कराई जा रही है, जो कि शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में आवंटित की जाती है।

सॉची डायरी में विज्ञापन हेतु दरें नीचे दर्शाये अनुसार है :–

क्रं.	विज्ञापन साईज	राशि रूपये
1	फूल साईज	30,000/-
2	हाफ साईज	15,000/-

अतः आपसे अनुरोध है कि, सॉची डायरी में आपके संस्था का विज्ञापन प्रकाशित करने की सहमति एवं आपके द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन के प्रारूप सहित परिवर्तित दूरभाष नंबर की जानकारी हिन्दी/अंग्रेजी में पत्र द्वारा शीघ्र दिनांक 13.12.2021 तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे सॉची डायरी 2022 में आपका विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकें।

इस सम्बन्ध में आपकी ओर से निर्धारित दिनांक तक कोई पत्र/उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आपका गत् वर्ष अनुसार (प्रारूप एवं साईज में) विज्ञापन प्रकाशित किया जावेगा।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

S.B.Tender 2019-20 & 2020-21/17

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चॉदा तलावली, मॉगलिया, इन्दौर

क्रं./   /प्रशासन/इसदुसं./2022   इन्दौर, दिनांक

प्रति,

ऋषभ ट्रान्सपोर्ट सर्विस,
पता : **5,** 'झाबुआ टॉवर',
फिल्म कॉलोनी,
इन्दौर (म. प्र.)।

विषय :– सॉची डायरी वर्ष **2023** में विज्ञापन बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, प्रतिवर्ष अनुसार वर्ष 2023 में भी ''सॉची'' डायरी प्रिंट कराई जा रही है, जो कि शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में आवंटित की जाती है।

सॉची डायरी में विज्ञापन हेतु दरें नीचे दर्शाये अनुसार है :–

क्रं.	विज्ञापन साईज	राशि रूपये
1	फूल साईज	30,000/- प्रति पेज
2	हाफ साईज	15,000/- प्रति पेज

अतः आपसे अनुरोध है कि, सॉची डायरी में आपके संस्था का विज्ञापन प्रकाशित करने की सहमति एवं आपके द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन के प्रारूप सहित परिवर्तित दूरभाष नंबर की जानकारी हिन्दी/अंग्रेजी में पत्र द्वारा शीघ्र दिनांक 02.12.2022 तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे सॉची डायरी 2023 में आपका विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकें।

इस सम्बन्ध में आपकी ओर से निर्धारित दिनांक तक कोई पत्र/उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आपका गत् वर्ष अनुसार (प्रारूप एवं साईज में) विज्ञापन प्रकाशित किया जावेगा।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चॉदा तलावली, मॉगलिया, इन्दौर

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/**2023** इन्दौर, दिनांक

प्रति,

मानवीय अध्यक्ष महोदय्,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चॉदा तलावली, मांगलिाया,
इन्दौर–**453 771** (म. प्र.)।

विषय :– स्टॉफ बस ठेका ई–निविदा आमंत्रित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय्,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा अधिकारी/कर्मचारियो को कार्यालय लाने एवं ले जाने हेतु ई–निविदा नवीन स्टॉफ बस ठेका आवंटन किये जाने के लिए ई–निविदा आमंत्रित की गई है।

अतः ई–निविदा प्रपत्र एवं विज्ञप्ति की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

धन्यवाद्।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रं./ /प्रशासन/इसदुसं/**2023** इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय्, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)